आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आज दिनांक–28.03.2022 को वाद सं0–06/2022 के मामले में सुनवाई की गई।

प्रथम पक्ष से श्री जीतन मराण्डी, गाण्डेय, गिरिडीह फोन कॉल के माध्यम से उपस्थित रहें। प्रतिवादी पक्ष की ओर से श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गाण्डेय उपस्थित रहीं।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा प्रतिवेदित किया गया कि उनके द्वारा दिनांक–24.03.2022 को ग्राम सभा का आयोजन कराया गया। श्रीमती मुनीश्वरी बड़ा द्वारा ग्राम सभा से संबंधित प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं साल–2007 में हुए ग्राम सभा का भी प्रतिवेदन आयोग के समक्ष रखा गया। प्रतिवेदन में यह उल्लेखित था कि गाँव में कोई आँगनबाड़ी सेविका बनने की योग्यता के अनुरूप नहीं होने की वजह से बगल गाँव की महिला श्रीमती उषा देवी को सेविका के रूप में चयनित किया जाए। लेकिन गाँव में योग्यतानुसार महिला मिल जाने पर उसे हटा दिया जाएगा, ऐसा अंकित नहीं था। दिनांक–24.03.2022 को की गई ग्राम सभा में यह बात भी निकल कर आई की जीतन मराण्डी अपनी पत्नी को आँगनबाड़ी सेविका बनाना चाहते है। अतः ग्राम सभा में यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में कार्यरत आँगनबाड़ी सेविका को ही चेतावनी देकर कार्य कराया जाय। श्री जीतन मराण्डी भी ग्राम सभा में सम्मिलित थे और श्री जीतन मराण्डी इस निर्णय से सहमत है। शिकायतकर्ता श्री जीतन मराण्डी से फोन पर वार्ता के दौरान यह बताया गया कि उन्हें अब किसी भी प्रकार का कोई भी शिकायत नहीं है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(शबनम परवीन)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(डॉ0 रंजना कुमारी)
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Court Hearing.docx 58